राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 83/2021 प्रा0पत्र

प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021

1. सुरेन्द्र सिंह पिता भैरू सिंह राजपूत निवासी रेह तहसील करेडा व अन्य

प्रार्थी.....

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा० करेडा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 11/11/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का करेडा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 92 आराजी नम्बर 6241 0.4426, 6242 0.4047, 6250 0.5564, 6251 0.1897, 6252 0.2029, 6253 0.1391, 6256 0.1770, 6258 0.2276, 6259 0.2782, 6260 0.2909, 8024/6254 2.0361, 9233/6255 0.0758, 9300/6255 0.1329 कुल 13 किता 13 रकबा 5.2039 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11/11/2021 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का करेडा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 92 आराजी नम्बर 6241 0.4426, 6242 0.4047, 6250 0.5564, 6251 0.1897, 6252 0.2029, 6253 0.1391, 6256 0.1770, 6258 0.2276, 6259 0.2782, 6260 0.2909, 8024/6254 2.0361, 9233/6255 0.0758, 9300/6255 0.1329 कुल किता 13 रकबा 5.2039 ..... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक करेडा को 1500/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को मद्देनजर रखते हुये मौकाई बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 08:57:30 IST
Reason: SelfAttested

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

PP83/2021
2021/1017

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा